

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग,
(मत्स्य प्रभाग)

राँची / दिनांक 31.05/24

प्रेषक,

अबुबकर सिद्दीख पी., भा०प्र०से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
झारखण्ड, राँची।

विषय—

वित्तीय वर्ष 2024-25 में माँग सं०-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-77-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) अंतर्गत मो० 58.44419 लाख (अन्दावन लाख चौवालीस हजार चार सौ उन्नीस) रु० मात्र के निधि का आवंटन।

प्रसंग—

सामान्य स्वीकृत्यादेश सं० 03 रा० (वि०) दिनांक 30.05.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु माँग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/उप शीर्ष-77-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) अंतर्गत मो० 58.44419 लाख (अन्दावन लाख चौवालीस हजार चार सौ उन्नीस) रु० मात्र आवंटित किया जाता है। राज्यादेश एवं आवंटनादेश का अक्षरशः पालन किया जाय।

2. व्यय का विकलन निम्न बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपबंधित राशि से किया जाएगा :-

माँग संख्या-53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)- मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन

(राशि लाख में)

क्र०	लघु शीर्ष / विस्तृत शीर्ष	आवंटित राशि
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन (राज्यांश)	
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59 अन्य व्यय विपत्र कोड 53S24050010177010759	33.25493
2	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राज्यांश)	
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59 अन्य व्यय विपत्र कोड 53S24050078977010759	6.35746
3	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना (राज्यांश)	
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59 अन्य व्यय विपत्र कोड 53S24050079677010759	18.8318
	कुल आवंटन	58.44419

(तीनों लघु शीर्ष में कुल आवंटित राशि मो० अन्दावन लाख चौवालीस हजार चार सौ उन्नीस रु० मात्र।)

सचिव

3. (क) वित्त विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-23/बी.टी.ई.-11/2023-24/257/बजट दिनांक-21.03.2024 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय की अनुमति प्राप्त है।
(ख) आवंटित राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि० (2) दिनांक-17.04.1998 वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि०, दिनांक-15.07.2003 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत एवं परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी की जाय।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर विपत्र कोड एवं मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की मुहर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके एवं मिलान करने में दिक्कत न हो। वर्ष के प्रत्येक तिमाही का नियमित लेखा मिलान कर त्रुटि निराकरण करना संबंधित DDO का दायित्व होगा।
5. आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 475 के आलोक में किया जाये। साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।
6. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग, विचलन तथा अनियमित निकासी व व्यय के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
7. इस आवंटन के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे जो राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार से करेंगे।
8. राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि इस प्रयोजनार्थ अन्य स्रोत (जिला/अन्य विभाग/योजना) से राशि प्राप्त नहीं हो रही है।
9. कार्यों का भौतिक/वित्तीय उपलब्धि झारखण्ड सरकार की Website पर Post किया जाय। यह कार्य निदेशक, मत्स्य, झारखण्ड सुनिश्चित करेंगे।
10. इस आवंटन के विरुद्ध अपने अधीनस्थ सुसंगत बजट शीर्ष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि का उप-आवंटन विमुक्त किया जाए।

अनु०-ऑनलाईन आवंटन

विश्वासभाजन

(अबुबकर सिद्दीख पी.)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :-.....23.310.1(A)..... मत्स्य/राँची, दिनांक31.05.24.....

प्रतिलिपि :-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, (बजट) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) झारखण्ड, राँची/योजना एवं बजट शाखा, मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/310.1(A)

By

सरकार के सचिव

2024-25

आवंटन सं० - 961

झारखण्ड सरकार

मत्स्य

DEMAND NO:53

23 आ० (वि०)
31/05/24

RELEASE NO	MAJOR	SUBMAJOR	MINOR	SUB CODE	DET HD	UNIT	AMOUNT
4925	2405 - मछली-पालन	00 - मछली-पालन	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	07 - अन्य व्यय	59 - अन्य व्यय	1,883,180.0

रजत

102

2024-25

आवंटन सं० - 959

झारखण्ड सरकार

मत्स्य

DEMAND NO:53

23 आ० (कि०)
31/05/24

RELEASE NO	MAJOR	SUBMAJOR	MINOR	SUB CODE	DET HD	UNIT	AMOUNT
4923	2405 - मछली-पालन	00 - मछली-पालन	101 - अन्तर्देशीय मछली-पालन	77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	07 - अन्य व्यय	59 - अन्य व्यय	3,325,493.0

व- राजीव

2024-25

आवंटन सं० - 960

झारखण्ड सरकार

मत्स्य

DEMAND NO:53

23 अप्र (क्र०)
31/05/24

RELEASE NO	MAJOR	SUBMAJOR	MINOR	SUB_CODE	DET HD	UNIT	AMOUNT
4924	2405 - मछली-पालन	00 - मछली-पालन	789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	07 - अन्य व्यय	59 - अन्य व्यय	635,746.6

राजीव



ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 469

पत्रांक संख्या :- 03

झारखण्ड सरकार

पत्रांक दिनांक :- 30/05/2024

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)
स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

ABOOBAKER SIDDIQUI P
SECRETARY

AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND COOPERATIVE DEPT. JHAF

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार, झारखण्ड का कार्यालय,
पोस्ट - डोरंडा, राँची ।

द्वारा- *आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : SANCTION FOR INSURANCE PMMSY 2024-25 STATE SHARE

RS. 58.44419 LAKH

आदेश- स्वीकृत |

- 1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 53 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) के, राज्य स्कीम
मुख्यशीर्ष - 2405-मछली-पालन
उपमुख्य शीर्ष - 00-मछली-पालन
केंद्रीय प्रायोजित योजना

लघुशीर्ष	राशि
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	□6,35,746.00
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना	□18,83,180.00
101-अन्तर्देशीय मछली-पालन	□33,25,493.00
कुलराशि :-	□58,44,419.00

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
53S240500789770759	77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	59 - अन्य व्यय	8890 - PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA (PMMSY)
53S240500101770759		59 - अन्य व्यय	
53S240500796770759		59 - अन्य व्यय	

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा।

- 2.) प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- 3.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता, अनुदान, वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

चर
रक्षित
E

